APP-A
Crim-I

FORM No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

...उपखण्ड अधिकारी... मुकाम ...कोटा...
...तेजु बाई... बनाम ...तोल्या...
मुकदमा ...53, 88, 89... नं. ...105... सन् ...2017...

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
10/10/25	पत्रावली आदेश प्रार्थना पत्र बाबूलाल आत्मज तोल्या के पक्ष मे रिलीज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाने बाबत पेश हुई। प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र बाबूलाल आत्मज तोल्या के पक्ष मे रिलीज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाने बाबत पेश कर निवेदन किया गया है कि उपरोक्त पक्षकारान आपस में भाई बहिन एव माता है, जिनकी ग्राम रामनगर में खसरा संख्या 245 की 3.2900 हैक्टर आराजी में से प्रत्येक का 1/24 हिस्सा निहित है एवं इस तरह से ग्राम गिरधरपुरा में कुल खसरे 15 की 2.4800 हैक्टर में से जिसमें प्रत्येक पक्षकारान का 1/24 हिस्सा स्थित है। हम पक्षकारान ग्यारसी बाई, नटी बाई, मंजू बाई, रामधन्नी बाई, पुत्रियां तोल्या उर्फ तोलुराम एवं रम्मी बाई विधवा पत्नी तोल्या उर्फ तोलुराम है। जो उपने खाते रामनगर एवं गिरधरपुरा की आसरजी में से 1/24 स्थित आराजी को अपने भाइ एंव पुत्र बाबतूलाल पुत्र तोल्या उर्फ तोलुराम जाति माली निवासी–गिरधपुरा, तह. लाडपुरा कोटा राज. के पा में रजि0 रिलीज डीड अपनपी स्वयं की इदच्छा से करवाना चाहती है इस हेतु न्यायालय द्वारा रजि0 पंजीकरण कार्यालय कोटा को रिलीज डीड के पंजीयन हेतु निर्देश दिया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उपरोक्त पक्षकारान का 1/24 हिस्सा ग्राम रामनगर व गिरधपुरा को अपने भाई व पुत्र बाबूलल पुत्र तोल्या उर्फ तोलुराम जाति माली निवासी गिरधपुरा, तह0 लाडपुरा, कोटा राज0 के नाम रिलीज डीड करवाई जाने उप पंजीयन अधिकारी व तहसीलदार को आदेश फरमावे। वादीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र बाबूलाल आत्मज तोल्या के पक्ष मे रिलीज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाने बाबत पेश कर निवेदन किया गया है कि प्रार्थना–पत्र में लिखेनुसार ग्राम रामनगर की खसरा संख्या– 245 रकबा 3.29 हैक्टयर आराजी एवम ग्राम गिरधरपुरा में स्थित कुल 15 किता 2.45 हैक्टयर कृषि आराजीयात में प्रत्येक प्रार्थीगण का 1/24 हिस्सा निहित होना स्वीकार नही है। उपरोक्त वर्णित कृषि आराजीयात में वादीगण का भी हक एवम हिस्सा निहित है। ग्यारसीबाई, नट्टी बाई व मंजू बाई, रामधन्नी बाई पुत्रियां तोल्या उर्फ तोलुराम एवम रम्मी बाई पत्नी तोल्या राम को उपरोक्त वर्णित ग्राम रामनगर एवम ग्राम गिरधरपुरा की कृषि आराजीयात को उनके भाई एवं पुत्र बाबूलाल आत्मज तोल्या उर्फ तोलूराम के पक्ष में उपरोक्त कृषि आराजीयात में अंकित हिस्से की रिलीज डीड निष्पादित किये जाने का कानूनन कोई हक व अधिकार प्राप्त नही है। उपरोक्त वर्णित दोनों गांवों की कृषि आराजीयात में बाबूलाल के अतिरिक्त अन्य कोई सहखातेदारान है। यहां यह उल्लेखनीय है कि हक त्याग किसी एक सहखातेदार के पक्ष में नही किया जा सकता है, अपितु समस्त सहखातेदारान के पक्ष में किये जाने का कानूनी प्रावधान है। ऐसी स्थिती में प्रार्थीगण को केवल मात्र बाबूलाल के पक्ष में हक त्याग पत्र	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

निष्पादित किये जाने का कानूनन कोई हक व अधिकार नहीं है। उपरोक्त वर्णित कृषि आराजीयात के संबंध में सम्माननीय न्यायालय द्वारा पूर्व में अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर प्रतिपक्षीमगण को उपरोक्त वर्णित कृषि आराजीयात को रहन, बैचान, हस्तन्तरण एवम हिबा नहीं करने हेतु पाबन्द फरमाया गया है। इस आधार पर भी कानूनन रिलीज डीड निषादित किये जाने की अनुमति प्रदान नहीं की जा सकती है। अतः जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना–पत्र को सव्यय खारिज फरमाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र की प्रक्रिया के उपरांत बहस वास्ते नियत की गई। उभयपक्षकारान की ओर से अपने अपने प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराया गया।

बाद बहस हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का गहनतापूर्वक अध्ययन किया तथा बहस उभयपक्ष पर गंभीरतापूर्वक मनन किया।

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बाबूलाल के पक्ष में रिलीज डीड करने की अनुमति चाही गई है। वही विद्वान अभिभाषक वादीगण का कथन है कि हकत्याग किसी एक सहखातेदार के पक्ष में नहीं किया जा सकता अपितु कानूनी प्रावधान समस्त सहखातेदारान के पक्ष में रिलीज डीड का है। अतः या तो समस्त सहखातेदारान के पक्ष में रिलीज डीड का आदेश दिया जावे अन्यथा प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

पत्रावली के अवलोकन से यह प्रमाणित है कि वादीगण की ओर से उपरोक्त आराजी में अपने अधिकारों की घोषणा एवं विभाजन हेतु यह वाद पत्र पेश किया हुआ है जिसमें वादीगण के पक्ष में दिनांक 05.08.2019 से विवादित आराजी की मौका एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश हुआ है। जिस कारण से प्रतिपक्षीगण के द्वारा उपरोक्त वर्णित कृषि आराजीयात को रहन, बेचान, हस्तान्तरण नही किया जा सकता है। यदि प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबूलाल आत्मज तोल्या के पक्ष मे रिलीज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाने बाबत स्वीकार किये जाने के पश्चात न्यायालय द्वारा पूर्व में जारी अस्थायी निषेधाज्ञा के आदेश का कोई औचित्य नही रह जाता है। जिस कारण से रिलीज डीड निष्पादित किये जाने की अनुमति प्रदान नही की जा सकती है।

चूंकि उक्त वाद अधिकारों की घोषणा एवं विभाजन का है, पक्षकारान का दायित्व है कि प्रकरण में नियमानुसार निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण करावें। इस प्रकार के सारहीन एवं औचित्यहीन प्रार्थना पत्रों से समय पर कार्यवाही नही हो पा रही है तथा मूल वाद पर सुनवाई की कार्यवाही प्रभावित होती है। पक्षकारान अनावश्यक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण की कार्यवाही को विलम्ब नही करे।

उक्त आधार पर हम प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित नहीं पाते है। अतः प्रार्थना पत्र बाबूलाल आत्मज तोल्या के पक्ष मे रिलीज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाने बाबत अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली जवाब प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 व 9, प्रार्थना पत्र धारा 5 एवं जवाब प्रार्थना पत्र विलोपित किये जाने नाम प्रति0 नं0 17 वास्ते दिनांक 27/10/25 को पेश हो।